न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / 2012 प्रा.पत्र / 2012	22.11.2012	02.01.2025

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा घी विक्रेता हाल द्वारा श्री मिट्ठू लाल कुमावत वार्ड नं. भट्टों का मोहल्ला निवाई जिला टोंक निवासी खेडा शुक्लपुरा पो. हथौना तह. व जिला टोंक।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 02/1/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 18.07.2012 को समय प्रातः 10:00 पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ने कार्यालय में व्यक्तिशः बुलाकर बताया कि थाना अधिकारी पुलिस थाना निवाई ने एक व्यक्ति को आम जनता को विक्रय हेतु संभावित मिलावटी घी बनाते हुए पकडा गया है जिसके घी का नमूना जांच करवाने हेतु लिया जाना है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय जांच दल के साथ पुलिस थाना निवाई पर पहुंचकर थानाधिकारी निवाई से दूरभाष से सम्पर्क कर मौका स्थल वार्ड नं. 6 में श्री मिट्ठू लाल कुमावत भुट्टों का मोहल्ला निवाई जिला टोंक पर 10:30 ए.एम. पर पहुंचा। वहां पुलिस द्वारा घी बनाते हुए पकडे गये व्यक्ति को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर उसने अपना नाम रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी खेडा शुक्लपुरा पो. हथौना तह. व जिला टोंक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री पंजीकरण प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया लेकिन बताया कि खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन प्रपत्र पटेल रोड, निवाई स्थित दूध डेयरी पर रखा हुआ है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण करने पर पाया कि घी विक्रेता श्री रामगोपाल शर्मा ने श्री मिठ्ठूलाल कुमावत के मकान में एक कमरा किराये पर ले रखा था जिसमें घी बनाने का सामान व तैयार किये गये घी का निरीक्षण करने पर पाया कि श्री रामगोपाल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के कब्जे में 2 टिन लगभग 15 किलोग्राम वनस्पति जैमिनी ब्राण्ड सील पैक, 1 टिन सोयाबीन तेल लगभग 15 किलोग्राम रूचि स्टार सील पैक, 4 टिन खुले जिसमें लगभग 15–15 किलोग्राम तैयार किया हुआ घी भरा हुआ था, 16 टिन खाली रखे हुये थे जिसमें वनस्पति जैमिनी ब्राण्ड अंकित था, 1 वजन तौलने की मशीन आदि सामान रखे हुए थे। आवेदक ने एक एल्युमिनियम का टब जिसमें लगभग 60 किलोग्राम तैयार किया हुआ **घी (खुला)** भरा था, का चयन किया जिसको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रामगोपाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रामगोपाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (खुला)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (खुला)** 800 ग्राम को चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में प्रत्येक में 200–200 ग्राम भरकर शिशियों के ढक्कन को एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–357 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–357 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक 2844 दिनांक 13.08.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/593/एफ.एस.एस.ए./2012/594 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (खुला)** अवमानक (Sub-

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Standard) पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी रामगोपाल शर्मा के विरूद्ध दिनांक 18.07.2012 की घटना के संबंध में पुलिस थाना निवाई में अभियोग संख्या 255/12 अर्न्तगत धारा 420, 272, 273 आई.पी.सी. व खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत दर्ज होकर बाद अनुसंधान चार्जशीट दिनांक 12.08.2012 को संबंधित न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई जिला टोंक में पेश की गयी थी। न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई में विचाराधीन उक्त अभियोग संख्या 429/2012 उनवानी सरकार बनाम रामगोपाल के मामले में पूर्ण ट्रायल के पश्चात् प्रतिपक्षी रामगोपाल शर्मा को निर्णय दिनांक 07.12.2024 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। एक ही घटना के संबंध में पृथक–पृथक दो न्यायालयों में मुकदमें नहीं चल सकते है, अतः न्यायालय हाजा की कार्यवाही को ड्रॉप कर प्रकरण खारिज किए जाने का निवेदन किया। अभिभाषक ने अपने कथनों की पुष्टि में एफ.आई.आर. नं. 255 थाना निवाई की प्रमाणित प्रति, न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई के अभियोग सरकार बनाम रामगोपाल के निर्णय दिनांक 07.12.2024 की प्रमाणित प्रति पेश की।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई में चलाया गया मुकदमा धारा 420, 272, 273 आई.पी.सी. व खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में विचाराधीन था जबकि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत विचाराधीन है। दोनों प्रकरण एक–दूसरे से भिन्न है एवं अलग–अलग धाराओं में पेश हुए है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई में चलाया गया मुकदमा धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

420, 272, 273 आई.पी.सी. व खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में विचाराधीन था जबकि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत विचाराधीन है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.1.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक